

**कार्यालय: कॉमर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)  
(द्वितीय तल, योजना भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)**

**//विज्ञापन//**

क्रमांक 233/दो-12-10 /2023

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 /06 /2023

**आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30/06/2023 संध्या 05:00 बजे तक**

कार्यालय: कॉमर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर नवा रायपुर, (छ.ग.) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले (वाटरमेन, चौकीदार, माली एवं स्वीपर) के निम्नांकित पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :—

**1. रिक्त पदों का विवरण :—**

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछ़ड़ा वर्ग			
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सेनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सेनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सेनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सेनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, माली एवं स्वीपर)	4	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
कुल	4	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.

**टीप :-**

- उपरोक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद के अनुसार नवीन पद मिलने पर या रिक्त होने पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश, कॉमर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर नवा रायपुर, के पास सुरक्षित रहेगा।

## **2. भर्ती की पात्रता की शर्तें :-**

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, माली एवं स्वीपर) के लिए

(अ) वेतनमान :- कलेक्टर रायपुर द्वारा निर्धारित दर पर

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
- (ii) सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र। (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

**नोट :-** शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी वाटरमेन, चौकीदार, माली एवं स्वीपर के कार्य का अनुभव हो और इसके अतिरिक्त ड्रायवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ाई, प्लम्बर, हाउस किपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड के कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। निजी व्यक्ति/निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

**महत्वपूर्ण :-**

- 1/ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी को समाप्त की जाएगी।
- 2/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी है, जिनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी, उन्हें विज्ञापित पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

## **3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-**

पात्रता की अन्य शर्तें :-

- (अ) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों का छूट होगी)।
- (ब) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- (स) आवेदक, किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत या सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो या उसे घोर कदाचार के लिए पदच्युत या सेवा समाप्त किया गया हो या निकाला गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (द) ऐसे उम्मीदवार जिसे किसी गंभीर, नैतिक एवं किसी महिला के लज्जा के अवमान या यौन अपराध के लिए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

### आयु सीमा :-

- (1) उम्मीदवार द्वारा दिनांक 01/01/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय /मूल निवासी अभ्यर्थीयों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष तक की छूट की अवधि बढ़ाया गया है, जो कि कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है। परन्तु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के उम्मीदवार/आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
- (3) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अन्य विशेष वर्ग जैसे—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वो छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष अधिक नहीं होगी।

**उच्चतम आयु सीमा में छूट :-** निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 3 (एक) (1) – यदि अभ्यर्थी शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 3 (एक) (2) – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 3 (एक) (3) – छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 3(एक) (4) –ऐसे अभ्यर्थी जो छठनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में इसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण :-** छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकार सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

- 3 (एक) (5) – ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 3 (एक) (6) – महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलानीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 3 (एक) (7) – शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 3 (एक) (8) – विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

- 3 (एक) (9) – स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 3 (एक) (10) – संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**नोट :-** अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

- 3 (एक) (11) – शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणहीन तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- 3 (दो) (1) – आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

**नोट :-** आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अथवा शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

- 3 (दो) (2) – विकम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

**टीप :-** (1) बिन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।  
 (2) बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का

आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

#### 4 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

**टीप :-** माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 6049 / तीन-18-27 / 2023 / डी.ई. / बिलासपुर दिनांक 12.05.2023 के अनुसार स्थापना के सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही यथाशीघ्र आरंभ करते हुए उक्त रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही 03 माह के भीतर पूर्व करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसलिए भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है।

1- **आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु :-**

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30/06/2023 की संध्या 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो, कार्यालय न्यायाधीश, कामर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर

नवा रायपुर (छ0ग0), पिन कोड नं. 492002 के पते में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 30/06/2023 की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक के विलंब के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

2— आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अद्वृशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित (SELF ATTESTED) प्रतियां आवेदन पत्र में उल्लेखित कमानुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3— जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

4— ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अद्वृशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। (अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात का संलग्न करना होगा।)

5— कार्यानुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यानुभव हेतु अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे।

6— **कोरियर, ई-मेल, फैक्स** के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7— विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कामर्शिलय कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर नवा रायपुर के वेबसाइट <https://commercialcourt.cg.gov.in> में किया जा सकता है, तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर लिया जा सकता है।

8— आवेदक, आवेदन पत्र पर **अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो** चस्पा करेगा।

9— आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुए दो लिफाफे पर पृथक—पृथक 5—5 रूपये का डाक टिकिट चस्पा किया हुए लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है, तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी।

10— आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्ड्राज नीले बॉल पेन/डॉट पेन से हर करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

11— डाक द्वारा भेजे एग आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

12— विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।

13— त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्य नहीं रहेगी।

## 5 नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

### (i) नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

1— दक्षता/कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी, और उक्त सूची के अनुसार न्यायाधीश, कामर्शिलय कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रवीण्य सूची जारी की जावेगी एवं प्रतीक्षा सूची गोपनीय रखी जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है, या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए गोपनीय प्रतीक्षा (छ0ग0) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

**टीप** :- गोपनीय प्रतीक्षा सूची की जानकारी किसी भी स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी या अन्य तीसरे जाती।

2— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3/ दिनांक 29/06/2013 एवं परिपत्र कमांक एफ 13-22/आ.प्र./1-3 दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति, प्रमाण पत्र एवं प्रारूप-(एक) के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3— चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4— चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है, तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

5— चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।

6— चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जावेगा तथा विपरीत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।

7— चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। समान अंक, समान जन्मतिथि एवं समान शैक्षणिक योग्यता होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर वरीयता तय की जावेगी जिस अभ्यर्थी के अधिक अंक होंगे, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

8— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9— चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, कामर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0), को होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थल पर ही निवास करना आवश्यक होगा।

10— चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीश, कामर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

## (ii) नियुक्ति हेतु चयन विधि :-

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचार (वाटरमेन, चौकीदार, माली एवं स्वीपर) के पद हेतु:-

**दक्षता/कौशल परीक्षा – 50 अंक**

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसकी सूचना जिला न्यायाधीश, कामर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0), के वेबसाईट <https://commercialcourt.cg.gov.in> पर पृथक से अपलोड की जावेगी।

अभ्यर्थियों की संख्या चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 5 वीं के उच्च प्राप्तांक के आधार पर एवं जिन अभ्यर्थी के पास चौकीदार, वाटरमेन, स्वीपर, माली के कार्य का अनुभव एवं अतिरिक्त योग्यता जैसे एल.एम.व्ही. का वैध ड्राईविंग लायसेंस हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कुक, हाउस किपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड का अनुभव हो उस पर विचार करते हुए रिक्त पदों के वर्गवार दस गुना आवेदकों को दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु छंटनी की जा सकती। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अन्य प्रमाण जैसे वेतन विवरणी इत्यादि प्रस्तुत करना होगा।

**चयन सूची** :- दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, तथा गोपनीय प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जा सकेगी।

## **6 अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी**

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवदेन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवदेन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

## **7 अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं**

1— विज्ञापित रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय बिलासपुर के WPC No. 591/2012, 592/2012, 539/2012, 594/2012 एवं माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी.सी. (सी) कमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा।

2— आवेदकों को प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने की सूचना एवं दक्षता/कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षा स्थल की सूचना न्यायाधीश, कामर्शियल कोर्ट के वेबसाइट <https://commercialcourt.cg.gov.in> एवं सूचना-पटल के माध्यम से दी जावेगी।

3— न्यायाधीश, कामर्शियल कोर्ट नवा रायपुर के वेबसाइट <https://commercialcourt.cg.gov.in> में से पात्र आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आई.डी. प्रुफ (पहचान पत्र) जैसे पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपना अर्हता से संबंधित मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा, इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

4— दक्षता/कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

रजिस्ट्रार/सदस्य  
नियुक्ति एवं पदोन्नति समिति  
कामर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) नवा रायपुर

8/6/2023

## आवेदन पत्र का प्रारूप

(आकस्मिकता निधि के वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमेन, स्वीपर, माली एवं चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु )

प्रति,

**न्यायाधीश,  
कार्मशियल कोर्ट (जिला स्तर)  
द्वितीय तल, योजना भवन,  
अटल नगर नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)**

आवेदक का  
स्व हस्ताक्षरित  
पासपोर्ट  
आकार का  
फोटो

1. आवेदित पद का नाम :— \_\_\_\_\_
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :— \_\_\_\_\_  
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :— \_\_\_\_\_
3. लिंग – पुरुष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 :— \_\_\_\_\_
4. पिता / पति का नाम :— \_\_\_\_\_
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :—  
(हिन्दी में) :— \_\_\_\_\_  
(ब) स्थाई पता :— \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. (अ) जन्म तिथि अंकों में :— वर्ष \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_  
शब्दों में :— \_\_\_\_\_
- (ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु :— वर्ष \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_
7. आवेदक का मोबाइल नंबर :— \_\_\_\_\_
8. क्या आवेदक ४०ग० का मूल निवासी है? हॉ / नहीं :— \_\_\_\_\_  
(यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल  
निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
9. क्या आवेदक ४०ग० शासन द्वारा ४०ग० राज्य :—  
के लिए घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है?  
हॉ / नहीं (यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
10. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।
11. क्या आवेदक विकलांग है? हॉ / नहीं  
(यदि हॉ, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. विकलांगता का प्रकार :— \_\_\_\_\_

(विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। )

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हॉ/नहीं :- \_\_\_\_\_  
(यदि हॉ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
14. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित :- \_\_\_\_\_  
पंजीयन कमांक एवं दिनांक  
(सत्यापित प्रति संलग्न करें)
15. क्या आप विवाहित है ? हॉ/नहीं :- \_\_\_\_\_
16. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :- \_\_\_\_\_
17. जीवित बच्चों की संख्या :- \_\_\_\_\_
18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :- \_\_\_\_\_

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत है? हॉ/नहीं :- \_\_\_\_\_

(यदि हॉ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। )

20. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दार्पण प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है ? हॉ, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण कमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से अनिवार्यता उल्लेख करे :- \_\_\_\_\_
21. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :- \_\_\_\_\_  
टीप – प्रमाण पत्र कमानुसार संलग्न करें।

- 1.
- 2.
- 3.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(आवेदक का नाम .....)

—: घोषणा :-

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उनमें कोई भी तथ्य असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :- .....

स्थान :- .....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम एवं पूरा पता

मोबाइल नं. —

ई—मेल —

(मोबाइल नंबर एवं ई—मेल अनिवार्य रूप से भरें।)